



सेवामें,

॥श्री॥

श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय,  
गुडामालानी जिला बाडमेर

वादी:-

1. देवाराम उर्फ देदाराम पुत्र सिमरथाराम उम्र 55 वर्ष  
जाति जाट साकिन ढीमडी तहसील गुडामालानी  
जिला बाडमेर ।

प्रतिवादीगण :-

बनाम

1. तुलसाराम पुत्र श्री सिमरथाराम उम्र 60 वर्ष
2. रामराम पुत्र श्री सिमरथाराम उम्र 45 वर्ष  
जाति जाट साकिन ढीमडी  
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
3. मैनेजर एस बी आई बैंक शाखा गुडामालानी
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 53 , 188 रा0 का0 अधिनियम  
वास्ते घोषणा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा


महोदयजी,


वादी का वाद निम्न प्रकार से है :-

1. कि वादी व प्रतिवादी एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है जिनकी वंश वृक्षावली  
प्रकार से है :-

देदाराम


देवाराम तुलसाराम रामुराम





वादी व प्रतिवादी के नाम की सयुक्त खातेदारी भूमि पटवार मण्डल बांटा के ग्राम ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 58 क्षेत्रफल 1.4811 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम व खसरा नम्बर 54/1 क्षेत्रफल 7.1225 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है । जिसमे हम वादी का 1/3 हिस्सा है । तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है जिसकी नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति सलग्न है ।

3. कि वादी का उपरोक्त खेत खसरान की भूमि मे 1/3 हिस्सा खातेदारी का है जिसमे वादी का घर बांडा टाका कृषि कनेक्शन कब्जा काशत है, वर्षात के दिनों मे तथा रबी की सीजन मे हम वादीगण अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर लगातार काशत करता आ रहा है ।
4. कि अर्सा आज से 7 दिन पुर्व वादी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर सियालु काशत करने गये तो प्रतिवादी ने वादी को काशत करने से रोका ओर कहा की मै हम प्रतिवादी संख्या बल मे अधिक व पहुच वाले है । हम उक्त खसरा की सम्पुर्ण भूमि पर काशत कर लेगे मै आपके कब्जा सुदा भूमि मे जबरदस्ती जीरा व ईसब बोयेगे आपको उक्त भूमि के अन्दर नही आने देगे । वादी ने कहा की हम हमारे 1/3 हिस्सा पर वर्षो से काबिज है तथा भी इसी हिस्से मे काशत करते आ रहे है । तथा हमारे पुर्वजो का मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है । तथा उसी अनुसार मै काशत कर रहा हूँ आप अपने हिस्से मे काशत करो लेकिन वर्तमान मे प्रतिवादी की नियत मे खोट पैदा हो गया ओर प्रतिवादी नाराज होकर आवेश मे आकर झगडा फसाद पर उतारू हो गये तथा हमारे हिस्से की जमीन पर जबरन काशत करने की धमकी दी तथा किसी अजनवी को सडक के पास वाली भूमि बैचने की धमकी दी ऐसी स्थिति मे वादीगण उपरोक्त पटवार मण्डल पटवार मण्डल बांटा के ग्राम ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 58 क्षेत्रफल 1.4811 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम व खसरा नम्बर 54/1 क्षेत्रफल 7.1225 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है मे वादी अपने 1/3 हिस्सा कब्जा काशत अनुसार घोषित करवाने का अधिकारी है इसलिये यह वाद घोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पैश है ।
5. कि वादी अपने हिस्से की भूमि को समतल कर तथा खाद मिटी आदि डालकर उपजाउ की तथा ओर अधिक उपजाउ बनाना चाहता है वह सरकारी एजेन्सी से ऋण लेना चाहता है । लेकिन उक्त भूमि सामलाती होने से वादी को कई प्रकार की अडसने पैदा हो रही है । प्रतिवादीगण वादी की उपजाउ जमीन को व सडक पर किमती जमीन को हडपना चाहता है । तथा शरद ऋतु मे काशत करने मे व्याधान पैदा करते है तथा पुरानी सेढा माठ को तोडते है इस समस्या से निजात पाने हेतु



आमि  
देवराभ